UPHM010019562026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–910/2026

निशान्त झा पुत्र सुदिष्ट झा, निवासी ग्राम केवटा, थाना फलवटी, जनपद मधुबनी, (बिहार राज्य); वर्तमान पता M 2nd, F–10C. गली नंबर 60, संगम बिहार अस्थल मंदिर मेहरौली, थाना नेबसराय, दिल्ली, 110062 .....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) .....अभियोजन पक्ष।

मु०अ०सं० 228/2025
धारा 318(4),338,336(3),
340(2) बी०एन०एस० व धारा
132(1) क,ख,ग,ठ (3) केन्द्रीय माल
एवं सेवाकर अधिनियम,
थाना कोतवाली नगर, जिला हमीरपुर।

दिनांक 24.07.2026

आवेदक/अभियुक्त निशान्त झा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० 228/2025, अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस० व धारा 132(1) क,ख,ग,ठ (3) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जिला हमीरपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 13.05.2026 जिला कारागार में निरुद्ध है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह, राज्य कर अधिकारी द्वारा थाना कोतवाली नगर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह वर्तमान में राज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यरत है। राजकीय कार्य के दौरान केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में पंजीकृत M/S V.Y TRADERS के द्वारा आनलाइन (GST Portal पर उपलब्ध) अभिलेखों की समीक्षा पर पाया गया कि M/S V.Y TRADERS द्वारा RAW FURSKINS (INCLUDING HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS SUITABLE FOR FURRIERS USE), OTHER THAN RAW HIDES AND SKINS OF HEADING 4101, 4102 OR 4102 की खरीद बिक्री हेतु दिनांक 27.07.2025 को GSTIN 09CGNPV3366F1ZS फर्म का पता Street:RINGNA KARIMATI Hamirpur Building number:321 , Floor number: 1 Building name:District:UPHAM Pincode:21301 प्राप्त किया गया था। उक्त GSTIN को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के Jurisdictional Authority Superintendent द्वारा जारी किया गया था। पंजीयन हेतु दाखिल, ऑनलाईन आवेदन में फर्म स्वामी श्री विजय के द्वारा स्थाई पता Building No/Flat No 321, Floor No. 1, Road/Street–RINGNA KARIMATI,

(Manoj Kumar Rai)
Sessions Judge, Hamirpur.
J.O. Code UP2004

Locality/Village HAMIRPUR, Name of the State UTTAR PRADESH, District–UPHAM, PIN Code–Email Address 210301 एवं मोबाइल नं0 8929656158, 9211930576 एवं Email Address 210301 infogstvendor@gmail.com दर्ज किया गया है। फर्म स्वामी द्वारा जीएसटी पोर्टल पर बैंक का विवरण Account No. 899096340 Bank Address CANARA BANK, III–N/25,26 NEHRUNAGAR., DR.AMBEDKAR ROAD.. GHAZIABAD 201 001 दर्ज किया गया है। फर्म स्वामी श्री विजय के द्वारा पंजीयन हेतु दाखिल ऑनलाईन आवेदन के साथ Electricity bill दाखिल किया गया है। केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म V.Y TRADERS के व्यापार स्थल की गोपनीय रेकी दिनांक 16.09.2025 को की गयी। रेकी पर उक फार्म घोषित व्यापार स्थल पर अस्तित्व में नहीं पायी गयी। आधार कार्ड में उल्लिखित विजय नामक व्यक्ति भी इस पते पर नहीं रहते बल्कि यह गुजरात (अहमदाबाद) में रहता है। फर्म के Address Proof के रूप में विद्युत बिल दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लि० का है। जिस कारण से केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की नियमावली के नियम 29 (2) (e) के अन्तर्गत कर्म का पंजीयन दिनांक 15.08.2025 से निरस्त कर दिया गया है। फर्म सर्वश्री V.Y TRADERS के द्वारा बोगस अस्तित्वहीन फर्मों से बिना वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किये केवल प्रपत्री का आदान–प्रदान करते हुए इनवर्ड सप्लाई घोषित की गयी है तथा इस बोगस इनवरी सप्लाई के सापेक्ष बोगस अर्जित आई०टीसी क्लेम की गयी है। उपरोक्त अस्तित्वहीन/फर्जी फर्म द्वारा सुनियोजित तरीके से आईटीसी का अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु करापवंचन के आशय से किया गया है।

उक्त के आधार पर दिनांक 25.10.2025 को समय 18:48 बजे थाना कोतवाली नगर में मु०अ०सं० 228/2025 अन्तर्गत धारा 318(4) बी०एन०एस० विरुद्ध अस्तित्वहीन फर्म सर्वश्री V.Y TRADERS का स्वामी विजय पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है। वह दिनांक 13.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। उसका उक्त अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नही है। उसके विरोधियों ने पुलिस से मिलकर उसे झूठा फंसाया है। कथित आरोप फर्जी व बनावटी है। वह उक्त मुकदमें में नामजद नही है। उसके पास से जिस मोबाईल की बरामदगी दिखायी गयी है वह मोबाईल उसके पिता के है। पुलिस के द्वारा उसके पिता से जबरदस्ती मोबाईल लेकर फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह कोचिंग चलाकर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। वह जमानत का दुरुपयोग नही करेगा। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा फर्जी फर्म का निर्माण करके जी०एस०टी० क्लेम हेतु फर्जी कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग किया गया है और राज्य के राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई गयी है। मामले की विवेचना अभी

(Manoj Kumar Rai)
Sessions Judge, Hamirpur.
J.O. Code UP2004

प्रचलित है और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य का संकलन विवेचक द्वारा किया जाना बाकी है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके फरार होने की प्रबल सम्भावना है। मामले के सहअभियुक्त अविनाश दूबे की जमानत दिनांक 16.04.2026 को इसी न्यायालय से निरस्त हो चुकी है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना सहअभियुक्त अविनाश दूबे के बताने के आधार पर प्रकाश में आया है। अभियुक्त के ऊपर यह आरोप है कि वह अन्य लोगों के दिशा–निर्देशन में विभिन्न प्रान्तों के व्यक्तियों के आधार कार्ड, पैन कार्ड व उनकी फोटो में परिवर्तन करके फर्जी जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन इस आशय से कर रहा था जिससे कि राज्य टैक्स की चोरी की जा सके और इसी आशय से अभियुक्त द्वारा फर्जी हस्ताक्षर दस्तावेज व प्रपत्रों का इस्तेमाल किये जाने का आरोप, अभिकथित किया गया है। केस डायरी के पर्चा नंबर 33 में आवेदक/अभियुक्त ने यह स्वयं कथन किया है कि चन्दन कुमार ने उसे रजिस्ट्रेशन का काम करना सिखाया था और बाद में अविनाश दूबे व हिमांशु को ट्रेनिंग देने हेतु कहा था। सहअभियुक्त अविनाश दूबे की जमानत इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2026 को खारिज हो चुकी है। सहअभियुक्त अविनाश दूबे ने बताया है कि उसे दीपक कुमार द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कार्य करने हेतु कहा गया था और अभियुक्त निशान्त झा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। निशान्त झा ने ही उसे बाद में इसी काम के लिए अखिल नामक व्यक्ति के काम पर लगवा दिया गया था। आवेदक/अभियुक्त निशान्त झा ने यह भी स्वीकार किया है कि भोले–भाले लोगों द्वारा आनलाईन जाब तलाशने के दौरान उन्हें फंसाकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड व फोटो आदि प्राप्त किये जाते थे। केस डायरी के अनुसार अभियुक्त के ऊपर फर्जी फर्म का निर्माण करके जी०एस०टी० क्लेम हेतु फर्जी कूटरचित दस्तावेज का प्रयोग किया गया है और यह जानते हुए कि ऐसा फर्जी कूटरचित दस्तावेज जी०एस०टी० कर की चोरी में प्रयोग किया जायेगा, अभियुक्त द्वारा उक्त कूटरचना की गयी और इस तरह के अपराध से राज्य के राजस्व कर की चोरी तथा राज्य को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाये जाने का आरोप अभियुक्त पर है, जो कि गम्भीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त पढ़ा–लिखा समझदार व्यक्ति है और कोचिंग चलाकर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। यदि एक पढ़ा–लिखा समझदार व्यक्ति इस प्रकार से फर्जी कूटरचना कर सुनियोजित तरीके से राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, तो यह अपने आप में ज्यादा गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त द्वारा भोले भाले लोगो के बिना जानकारी लिये किसी के कहने पर फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन फार्म आनलाइन अप्लाई करना और फार्म भरने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि या असमानता होती थी तो उसकी पूर्ती फर्जी तरीके से सम्बन्धित प्रान्तो के विभिन्न फार्मेट जैसे बिजली बिल, रेंट एंग्रीमेंट में संशोधन करते हुए जीएसटी फार्म से सम्बन्धित व्यक्ति का पता पूर्णकर फार्म फिलिंग करते हुए अपने मालिक चन्दन कुमार मिश्रा को रिपोर्ट भेजना और इस प्रकार फर्जी रजिस्ट्रेशन फर्जी फर्म बनाकर केन्द्रीय माल एवं

(Manoj Kumar Rai)
Sessions Judge, Hamirpur.
J.O. Code UP2004

सेवाकर वस्तु अधिनियम का उलंघन करते हुए राजकीय सम्पत्ति क्षति कारित करने का आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है। इसी के साथ आवेदक/अभियुक्त बिहार राज्य का मूल निवासी है। यदि आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके फरार होने की प्रबल आशंका है।

अतः मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त न करते हुए, अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त निशान्त झा द्वारा मु०अ०सं० 228/2025, अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी०एन०एस० व धारा 132(1) क,ख,ग,ठ (3) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, थाना कोतवाली नगर, जिला हमीरपुर के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः 24.07.2026

(मनोज कुमार राय)
सत्र न्यायाधीश,
हमीरपुर।

(Manoj Kumar Rai)
Sessions Judge, Hamirpur.
J.O. Code UP2004

Digitally signed by MANOJ KUMAR RAI
Date: 2026.07.24 14:06:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court